

17/11/2024

2021
315

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत गांव
कश्मोर पर अत्येजित शिक्ति से निलक्षण हेतु जारी गई।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जमीनगत ग्राम धनेतरुद
पं.ह. कश्मोर स्थित आराजी संख्या 46 रकबा 1.11.00 हेतु
की पत्थरगढी कराना चाहे है। पत्रावली के संलग्न नकल
जमाबन्दी संख्या 2068-2071 अनुसार उक्त आराजी जमीन
गत के नाम पर खोदारी एक से दर्ज रेकार्ड है। अतः
जमीनगत का जमीन पर अन्तगत धारा 128 पर
स्वीकार किया जाकर ग्राम धनेतरुद पं.ह. कश्मोर स्थित
जमीनगत की खोदारी आराजी संख्या 46 रकबा 1.11.00 हे
जमीन की बिना किसी के कहे से दरबलन्दाजी किए सेलमे
नगरी अनुसार पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते
हैं। कमिश्नर शुल्क 1000/-0000 पर अक्षरे एक हजार रुपये जमीन
पहन करेंगे। पालना रीपोर्ट चित्तौडाह को लिखा जावे कि
प्रशासन को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढी की
जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली
के संलग्न शुभारंभ नम्बर संलग्न है।



(श्याम सुन्दर विश्वासे)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडाह (राज.)